

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में प्रथम अपीलीय अधिकारी सौरभ कुमार, कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

अपील प्रकरण क्रमांक - 05/2018

श्री सुभाष यादव,
कैलाश नगर, वार्ड क्रमांक 11,
दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा, छ.ग.,

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा

.....उत्तरवादी

-आदेश-

(पारित दिनांक 22-10-2018)

श्री सुभाष यादव, कैलाश नगर, वार्ड क्रमांक 11, दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा, छ.ग के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे संबंधित कार्यालय द्वारा दिनांक 09-08-2018 को प्राप्त किया गया। जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के द्वारा वांछित सूचना का प्रदाय आवेदक को नहीं करने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील दिनांक 22-09-2018 को प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-91/22/सू.अ./पं.ग्रा.वि.वि./2013 नया रायपुर दिनांक 31-05-2013 के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी संबंधित जिले के कलेक्टर होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण दर्ज कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

1 अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील के साथ जन सूचना अधिकारी को संबोधित आवेदन दिनांक 09-08-2018 जिसमें जन सूचना अधिकारी कार्यालय का पावती है, की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने अपील शुल्क 50.00 रु. मात्र भारतीय स्टेट बैंक शाखा दन्तेवाड़ा में दिनांक 17-09-2018 को चालान के द्वारा जमा कर चालान क्रमांक-04 की मूल प्रति संलग्न किया है।

2 अपीलार्थी के प्रथम अपील का अवलोकन किया गया जिसमें लेख किया है कि उनके द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दन्तेवाड़ा को दिनांक 09-08-2018 को प्रस्तुत आवेदन में (1) सत्र 2012 से 2016 तक शिक्षा कर्मियों के पदोन्नति के संबंध में शासन के द्वारा जितने भी आदेश जारी किए गए हैं, उन सभी आदेशों की सत्यापित छायाप्रति प्रदाय करने निवेदन किया गया है जो समय-सीमा समाप्त होने के उपरांत भी उन्हें प्रदाय नहीं की गई है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना में चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

3 जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दन्तेवाड़ा से अपील का जवाब प्रस्तुत करने तथा अपीलार्थी को दस्तावेजों सहित दिनांक 22-10-2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने सूचना पत्र क्रमांक 5541/रीडर/सूकाअ/2018 दिनांक 10-10-2018 जारी किया गया।

4 प्रकरण की सुनवाई तिथि 22-10-2018 को जन सूचना अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए और न ही अपील का जवाब/अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी को सूचना पत्र प्रेषित करने उपरांत भी सुनवाई दिनांक 22-10-2018 को बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे।



निष्कर्ष :-

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर बिन्दुवार निष्कर्ष इस प्रकार है :-

1 अपीलार्थी ने अपील के साथ, जिला परिवहन अधिकारी दन्तेवाड़ा को प्रस्तुत आवेदन पत्र उन्हें प्राप्त होने के साक्ष्य स्वरूप पावती दिनांक 09-08-2018 संलग्न किया है।

2 जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दन्तेवाड़ा को अपील का जवाब/अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु इस न्यायालय का सूचना पत्र प्राप्त होने के बावजूद नियत तिथि दिनांक 22-10-2018 तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

3 अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना में चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(2) के तहत अपीलार्थी को 30 दिवस के भीतर सूचना प्रदाय करने का प्रावधान है। जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दन्तेवाड़ा को सूचना पत्र हाथोंहाथ तामिल कराने के उपरांत अपील का जवाब/अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु 12 दिवस का समय देने के बावजूद वे जवाब/अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहे। अपीलार्थी को सूचना पत्र हाथोंहाथ तामिल करने के उपरांत भी सुनवाई दिनांक 22-10-2018 को बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपील का जवाब/अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई सूचना निःशुल्क प्रदाय कर इस न्यायालय को अवगत कराएंगे।



कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

पृ0क0 / 5786 B / सू.काअ./अपील/प्र.क.-5/2018
प्रतिलिपि :-

दन्तेवाड़ा दिनांक 22-10-2018

- 1- जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्री सुभाष यादव, कैलाश नगर, वार्ड क्रमांक 11, दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा, छ.ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस आदेश से संतुष्ट न हों तो आप 90 दिवस के भीतर नीचे दिये पते पर द्वितीय अपील कर सकते हैं।
- 3- डी.आई.ओ., एन.आई.सी. केन्द्र जिला कार्यालय दन्तेवाड़ा की ओर वेब साईट में अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पता:-

मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड शंकर नगर रायपुर (छ0ग0)

कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा